

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 26, 2018/अग्रह्यण 5, 1940

No. 446]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 26, 2018/AGRAHAYANA 5, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2018

फा.सं.पीएनजीआरबी/अथो/सीजीडी/अर्मेड/2018/4.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतदद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा विस्तार करने हेतु कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात :-

- 1. लघु शीर्षक और प्रारंभण (1) इन विनियमों को "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा विस्तार करने हेतु कंपनियों को प्राधिकृत करना) चौथा संशोधन विनियम, 2018" कहा जाएगा। (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा विस्तार करने हेतु कंपनियों को प्राधिकृत करते हुए) विनियम, 2008, (इसके पश्चात इसे मूल विनियम कहा जाएगा) के विनियम 7 में, उप विनियम (1) में, खंड (ख) में, के परंतुक, "बशर्ते कि "शब्दों से आरंभ होने वाले और "नीचे दिए गए, अर्थात" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले अंश के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा -

"बशर्ते कि (i) बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना ज़िलों: (ii) पंचकूला (पहले से ही अधिकृत क्षेत्रों के अतिरिक्त), शिमला, सोलन और सिरमौर ज़िलों, (iii) बाड़मेर, जैसलमर और जोधपुर ज़िलों, (iv) दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और उत्तर दिनाजपुर

6856 GI/2018 (1)

ज़िलों और (v) नैनीताल और बिजनौर ज़िलों के भौगोलिक क्षेत्रों के मामले में सफल बोली लगानेवालों को निम्नलिखित विवरणानुसार अनुबंध के 10 वर्षों के अंदर कार्य के वर्षवार कार्यक्रम को पूर्ण करना होगा, अर्थात:—

3. मूल विनियम में, अनुसूची ग(1) में, "घरेलू पाइप्ड प्रकृतिक गैस कनक्शनों की "(इ) संख्या", के परन्तुक, "बशर्ते िक" से आरंभ होने वाले तथा "नीचे इंगित" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले अंश के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा अर्थात

"बशर्ते कि (i) बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना ज़िलों: (ii) पंचकूला (पहले से ही अधिकृत क्षेत्रों के अतिरिक्त), शिमला, सोलन और सिरमौर ज़िलों, (iii) बाड़मेर, जैसलमर और जोधपुर ज़िलों, (iv) दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और उत्तर दिनाजपुर ज़िलों और (v) नैनीताल और बिजनौर ज़िलों के भौगोलिक क्षेत्रों के मामले में तीनों कंपनियों के समग्र अंकों की गणना बोली के मानदंडों को नीचे इंगित किए गए पृथक-पृथक महत्व के अनुसार की जाएगी-"

- 4. मूल विनियम, अनुसूची घ में, शर्तों एवं निबंधनों में क्रमांक 3 में, "विकल्पतः" शब्द के पश्चात "के मामले में" शब्दो से आरंभ हो रहे तथा "नीचे दिए गए, अर्थात:-" शब्दों के साथ समाप्त हो रहे अंश के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात:—
 - (i) बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना ज़िलों: (ii) पंचकूला (पहले से ही अधिकृत क्षेत्रों के अतिरिक्त), शिमला, सोलन और सिरमौर ज़िलों, (iii) बाड़मेर, जैसलमर और जोधपुर ज़िलों, (iv) दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और उत्तर दिनाजपुर ज़िलों और (v) नैनीताल और बिजनौर ज़िलों के भौगोलिक क्षेत्रों के मामले में कंपनियों को निम्नलिखित विवरणानुसार अनुबंध के 10 वर्षों के अंदर कार्य के वर्षवार कार्यक्रम को पूर्ण करना होगा, अर्थात":—

वन्दना शर्मा, सचिव [विज्ञापन—III / 4 / असा. / 366 / 18]

पाद टिप्पणी: मूल विनियमों को जी.एस.आर. 196 (ई) दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात जीएसआर 800 (ई) दिनांक 19 नवंबर, 2008, जीएसआर 295 (ई) दिनांक 30 अप्रैल, 2009, जीएसआर 478 (ई) दिनांक 7 जून, 2010, जीएसआर 605 (ई) दिनांक 19 जुलाई, 2010, फा. संख्या पीएनजीआरबी/सीजीडी/ रेगुलेशन्स/रिव्यू-2011/2012-III दिनांक 21 जून, 2013, फा. संख्या पीएनजीआरबी/सीजीडी/ बिड दिनांक 7 अप्रैल, 2014, फा. संख्या एल-विविध/VI/I/2007 दिनांक 1 जनवरी, 2015, फा. संख्या पीएनजीआरबी/सीजीडी/ रेगुलेशन्स/अमेंड/2015, दिनांक 13 फरवरी, 2015, पीएनजी आरबी/सीजीडी/अमेंडमेंट/2015/2, दिनांक 11 दिसंबर, 2015, फा. संख्या पीएनजीआरबी/सीजीडी/ अमेंडमेंट/2015/2/एससी दिनांक 26 अप्रैल, 2016, फा. संख्या पीएनजीआरबी/प्राधि/ सीजीडी/अमेंडमेंट/2018 दिनांक 6 अप्रैल, 2018, फा. संख्या पीएनजीआरबी/प्राधि/सीजीडी/अमेंडमेंट/2018/2 दिनांक 27 अप्रैल, 2018 और फा. संख्या पीएनजीआरबी प्राधि/सीजीडी/अमेंडमेंट/2018/3 दिनांक 6 नवंबर, 2018 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2018

- **F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/4** .—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely: —
- 1. Short title and commencement. (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Fourth Amendment Regulations, 2018. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulation, 2008, (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 7, in sub-regulation (1), in clause (b), in the proviso, for the portion beginning with the words "provided that" and ending with the words "given below, namely: -", the following shall be substituted namely:
 - "Provided that in the case of the geographical areas of (i) Bilaspur, Hamirpur and Una Districts; (ii) Panchkula (except area already authorised), Shimla, Solan and Sirmaur Districts, (iii) Barmer, Jaisalmer and Jodhpur Districts, (iv) Darjeeling, Jalpaiguri and Uttar Dinajpur Districts and (v) Nainital and Bijnor Districts, the successful bidder shall be required to achieve the year-wise work programme within 10 contract years as per details given below, namely: –".
- 3. In the principal regulations, in Schedule C(1), under "(E) No. of Domestic PNG connections", in the proviso, for the portion beginning with words "provided that" and ending with the words "indicated below-", the following shall be substituted, namely:-
 - "Provided that in the case of the geographical areas of (i) Bilaspur, Hamirpur and Una Districts; (ii) Panchkula (Except area already authorised), Shimla, Solan and Sirmaur Districts (iii) Barmer, Jaisalmer and Jodhpur Districts (iv) Darjeeling, Jalpaiguri and Uttar Dinajpur Districts and (v) Nainital and Bijnor Districts, the composite score of three entities shall be computed by assigning the respective weights assigned to each of the bidding criterion as indicated below-".
- 4. In the principal regulations, in Schedule D, in the terms and conditions number 3, after the word "alternatively," for the portion beginning with words "In the case of" and ending with the words "given below, namely: -", the following shall be substituted, namely: -

"In the case of the geographical areas of (i) Bilaspur, Hamirpur and Una Districts; (ii) Panchkula (Except area already authorised), Shimla, Solan and Sirmaur Districts (iii) Barmer, Jaisalmer and Jodhpur Districts (iv) Darjeeling, Jalpaiguri and Uttar Dinajpur Districts and (v) Nainital and Bijnor Districts, the entity shall be required to achieve the year-wise work programme within 10 contract years as per details given below, namely: -".

VANDANA SHARMA, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./366/18]

Foot Note: Principal regulations were notified vide No. G.S.R. 196(E) dated 19th March, 2008 and subsequently amended vide G.S.R. 800 (E) dated 19th November, 2008, G.S.R. 295 (E) dated 30th April, 2009, G.S.R. 478(E) dated 7th June, 2010, G.S.R. 605 (E) dated 19th July, 2010, F.No. PNGRB/ CGD/ REGULATIONS/REVIEW-2011/2012-III dated 21st June, 2013, F. No. PNGRB/CGD/BID/4/2013-PRE BID dated 7th April, 2014, F.No. L-MISC/VI/ I/2007 dated 1st January, 2015, F.No. PNGRB/ CGD/ Regulations/Amend/2015 dated 13th February 2015, PNGRB/CGD/Amendment/2015/2/SC dated 26th April 2016, F. No. PNGRB/AUTH/ CGD/Amd/2018 dated6th April 2018, F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/2 dated 27th April 2018 and F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/3 dated 6th November 2018